# सत्र समीक्षा

## तेरहवीं राजस्थान विधान सभा का अष्टम् सत्र

तेरहवीं राजस्थान विधान सभा का अष्टम् सत्र सोमवार, दिनांक 27 फरवरी, 2012 को राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम् .....' के गायन से आरम्भ हुआ तथा गुरुवार, दिनांक 26 अप्रेल, 2012 को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। इस सत्र का सत्रावसान दिनांक 28 अप्रेल, 2012 को हुआ।

| सत्र | कुल बैठकें | बैठकों की तिथि |
|---|---|---|
| अष्टम् सत्र | 22 | फरवरी माह - 27, 28 एवं 29<br>मार्च माह - 1, 2, 5, 26, 27, 28, 29 एवं 30<br>अप्रेल माह - 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 एवं 26 |

### राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

महामहिम राज्यपाल श्री शिवराज वी. पाटील द्वारा दिनांक 27 फरवरी, 2012 को सदन के समक्ष दिये गये अभिभाषण की प्रति विधान सभा के उप सचिव ने सदन की मेज पर रखी। दिनांक 28 फरवरी, 2012 को सदस्य श्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने राज्यपाल महोदय को धन्यवाद हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसका अनुमोदन सदस्य श्री गोविन्द सिंह डोटासरा ने किया। प्रस्ताव पर चार दिन तक चर्चा हुई जिसके पश्चात् 2 मार्च, 2012 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। वाद विवाद में 58 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। दिनांक 28 फरवरी, 2012 को 14; 29 फरवरी, 2012 को 15; 1 मार्च, 2012 को 18 तथा 2 मार्च, 2012 को 11 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के 29, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 22, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के 3, समाजवादी पार्टी के एक तथा दो निर्दलीय सदस्यों ने भाग लिया। इस चर्चा में 5 महिला सदस्यों ने भी भाग लिया जिनमें 4 भारतीय जनता पार्टी तथा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्या थी।

### उपाध्यक्ष का निर्वाचन

अष्टम् सत्र में दिनांक 29 फरवरी, 2012 को श्री अशोक गहलोत, सदस्य ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि 'श्री रामनारायण मीणा, सदस्य, विधान सभा (विभाजन संख्या 155) को राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया जाये।' श्री शांती कुमार धारीवाल, सदस्य, विधान सभा ने उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया। इस प्रकार के अन्य प्रस्ताव श्री गुरमीत सिंह कुन्नर, श्री जाकिर हुसैन

गैसावत तथा श्री कमल बैरवा ने प्रस्तुत किये जिनका अनुमोदन क्रमशः श्री हरजीराम बुरड़क, श्री महेन्द्र चौधरी तथा श्रीमती कान्ता भील ने किया। श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव ध्वनिमत से स्वीकार किया जाकर श्री रामनारायण मीणा को सर्व-सम्मति से राजस्थान विधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया।

श्री अशोक गहलोत, मुख्य मंत्री; श्रीमती वसुन्धरा राजे, नेता प्रतिपक्ष; श्री शांती कुमार धारीवाल, संसदीय कार्य मंत्री; श्री घनश्याम तिवाड़ी, उप नेता, भारतीय जनता पार्टी; डॉ. रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक; श्री रतन देवासी, सरकारी उप मुख्य सचेतक व श्री अमराराम, नेता, माकपा द्वारा नव-निर्वाचित उपाध्यक्ष को बधाई दी गई। इस अवसर पर श्री अशोक गहलोत, श्रीमती वसुन्धरा राजे तथा श्री अमराराम ने विचार व्यक्त किये। माननीय अध्यक्ष श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत ने भी नव-निर्वाचित उपाध्यक्ष को बधाई दी। श्री मीणा ने सदस्यों से सहयोग की कामना करते हुए निर्विरोध निर्वाचित किये जाने पर आभार व्यक्त किया।

## सदस्य का निलम्बन समाप्त

अष्टम् सत्र में दिनांक 27 फरवरी, 2012 को डॉ. रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि 'दिनांक 29 अगस्त, 2011 को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा लाडपुरा (कोटा) से निर्वाचित माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह राजावत को अमर्यादित कृत्य के फलस्वरूप एक वर्ष की अवधि के लिए सदन की सदस्यता से निलम्बित किया गया था। इस सदन की उच्च गौरवशाली परम्परा रही है। फिर भी विगत में अनेक अवसर ऐसे आये हैं जब सदन में अनुशासन बनाये रखने एवं प्रक्रिया नियमों की पालना हेतु सदस्यों को निलम्बित करने सम्बन्धी कठोर निर्णय इस सदन द्वारा लिये गये हैं। लेकिन इसके साथ ही पक्ष और प्रतिपक्ष के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे और यह सदन जन आकांक्षाओं के अनुरूप कार्य करें तथा इस सदन की गौरवशाली परम्परा अक्षुण्ण बनी रहे, इस हेतु पूर्व में सदन के नेता अथवा प्रतिपक्ष के नेता अथवा सम्बन्धित माननीय सदस्य की ओर से खेद प्रकट करने पर निलम्बनकाल की अवधि को समाप्त किया गया है। अतः पूर्व परम्पराओं को दोहराते हुए मैं, यह प्रस्ताव सदन की राय हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ कि माननीय सदस्य श्री भवानी सिंह राजावत के अब तक के निलम्बन को पर्याप्त मानते हुए इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद शेष निलम्बन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाये।'

सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

## सदस्य की गिरफ्तारी की सूचना

अष्टम् सत्र में दिनांक 9 अप्रेल, 2012 को माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि उप महानिरीक्षक, पुलिस, सी.बी.आई./एस.सी.-II/नई दिल्ली कैम्प - जयपुर के फैक्स मैसेज दिनांक 5 अप्रेल, 2012 द्वारा प्राप्त सूचना के अनुसार श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य, राजस्थान विधान सभा को अभियोग संख्या आर.सी.2(S)/2010/SCU.V/SC II/CBI/New Delhi में दण्ड प्रक्रिया

संहिता की धारा 41 के अन्तर्गत दिनांक 5 अप्रेल, 2012 को दारा सिंह हत्या प्रकरण में जाँच हेतु गिरफ्तार किया गया है। श्री राजेन्द्र राठौड़ को सी.बी.आई. की कस्टडी में सी.बी.आई. कैम्प ऑफिस, जयपुर में रखा गया है।

माननीय अध्यक्ष ने यह भी सूचित किया कि अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर से प्राप्त पत्र दिनांक 5 अप्रेल, 2012 के अनुसार श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य, राजस्थान विधान सभा को माननीय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर जिला जयपुर के प्रकरण संख्या आर.सी.2(S)/2010/SCU.V/SC II/CBI/New Delhi अन्तर्गत धारा 120-बी सहपठित 302, 364, 201, 218 भारतीय दण्ड संहिता में दिनांक 5 अप्रेल, 2012 को केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में दाखिल करवाया गया है।

## मंत्री द्वारा वक्तव्य

सत्र के दौरान निम्न दो माननीय मंत्रियों ने निम्न विषयों पर सदन में वक्तव्य दिये -

| क्र. | मंत्री का नाम | दिनांक | विषय |
|---|---|---|---|
| 1. | श्री शांति कुमार धारीवाल<br>संसदीय कार्य मंत्री | 5.3.2012 | गत माह शीतलहर व पाला पड़ने से नष्ट हुई फसल का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में। वक्तव्य पर 6 सदस्यों ने स्पष्टीकरण चाहे जिनका मंत्री ने उत्तर दिया। |
| 2. | श्री वीरेन्द्र बेनीवाल<br>गृह राज्य मंत्री | 27.3.2012 | जयपुर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे एवं रात्रि में सोए हुए विद्यार्थी मित्रों पर कथित रूप से लाठीचार्ज किये जाने के सम्बन्ध में। |

## अध्यक्षीय व्यवस्था

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 26 अप्रेल, 2012 को श्री शांती कुमार धारीवाल, प्रभारी मंत्री द्वारा राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012 को विचारार्थ प्रस्तुत किये जाते समय श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012 में फाइनेंशियल मेमोरेण्डम नहीं है और इसी प्रकार का विवरण जिस प्रकार प्रथम सूचना अधिकारी, तीनों अधिकारियों को लगाने की बात कही है, सुनने का प्रोसीजर किया है, इसमें भी खर्चा आएगा। इसलिए कोई ऐसा विधेयक जिस बिल में खर्चा हो उसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय की स्वीकृति और फाइनेंशियल मेमोरेण्डम, इन दोनों में लगाना जरूरी है। इसलिए जब तक विधेयक के साथ फाइनेंशियल मेमोरेण्डम नहीं लगेगा और राज्यपाल महोदय की संविधान के अनुच्छेद 207 के अन्तर्गत स्वीकृति नहीं आयेगी तक तक यह विधेयक सदन में विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।

प्रभारी मंत्री श्री शांती कुमार धारीवाल ने कहा जो अधिकारी राजकीय सेवा में पहले से ही सेवारत हैं, वे जितनी तनख्वाह व भत्ते ले रहे हैं, उन्हीं अधिकारियों की नियुक्ति की जायेगी तथा वे ही अधिकारी यह कार्य करेंगे। इसके लिए कोई पृथक से अधिकारी की नियुक्ति नहीं करनी पड़ेगी। इसलिए

विधेयक के साथ फाइनेंशियल मेमोरेण्डम की आवश्यकता नहीं है।

इस पर माननीय उपाध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि मैं दिनांक 25 जुलाई, 1977 को तत्कालीन माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था पढ़कर सुनाता हूँ - एक विधेयक के साथ वित्तीय ज्ञापन नहीं होने के कारण श्री मूलचंद डागा, सदस्य, विधान सभा द्वारा व्यवस्था का प्रश्न उठाने पर माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था दी गई 'फाइनेंशियल स्टेटमेंट के सम्बन्ध में सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता।' माननीय प्रभारी मंत्री ने उल्लेख किया कि कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा। पूर्व में तत्कालीन माननीय अध्यक्ष द्वारा दी गई व्यवस्था को यथावत रखते हुए मैं प्रभारी मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा कि वे राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012 को विचारार्थ लिए जाने का प्रस्ताव करे।'

## प्रश्न काल

समीक्ष्य सत्र में 138 माननीय सदस्यों द्वारा कुल 5964 तारांकित तथा अतारांकित प्रश्न प्रस्तुत किये गये। रद्द होने के पश्चात् शेष 5740 प्रश्नों पर विचार किया गया। इनमें से माननीय सदस्यों द्वारा मौखिक उत्तर के लिए कुल 2511 प्रश्न प्रस्तुत किये गये जिनमें से 551 तारांकित प्रश्न, प्रश्न-सूची में सूचीबद्ध किये गये। सर्वश्री अर्जुनलाल, पेमाराम, बंशीधर खण्डेला, बाबू सिंह राठौड़, महेन्द्र सिंह, मोहन लाल गुप्ता, रामलाल गुर्जर, रामहेत सिंह तथा डॉ. जसवन्त यादव ने अधिकतम 40-40 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 10 माननीय सदस्यों ने 39-39, 8 सदस्यों ने 38-38, 5 सदस्यों ने 37-37, 4 सदस्यों ने 36-36 तथा शेष सदस्यों ने 35 अथवा इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल तथा श्रीमती किरण माहेश्वरी ने सर्वाधिक 39-39 प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए प्रश्नों में सर्वाधिक 13-13 प्रश्न महिला सदस्य श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्रीमती अनीता सिंह सहित श्री अब्दुल सगीर खान एवं श्री अमरा राम के थे।

उक्त के अतिरिक्त 3229 अतारांकित प्रश्न भी लिखित उत्तर के लिए प्राप्त हुए जिसमें से 877 प्रश्न, प्रश्नसूची में सूचीबद्ध हुए। सर्वश्री कल्याण सिंह चौहान, बंशीधर खण्डेला, गोविन्द सिंह डोटासरा, रामहेत सिंह तथा डॉ. जसवन्त सिंह यादव ने अधिकतम 60-60 प्रश्न प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में श्रीमती अनिता भदेल ने सर्वाधिक 59 प्रश्न प्रस्तुत किये। इस प्रकार पाँच सदस्यों ने 59-59, छह सदस्यों ने 58-58 तथा शेष सदस्यों ने 57 या इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए अतारांकित प्रश्नों में से सर्वाधिक 18 प्रश्न श्री बनवारी लाल सिंघल के सूचीबद्ध हुए । महिला सदस्यों में सर्वाधिक 15-15 प्रश्न श्रीमती अंजू खन्गावाल तथा श्रीमती किरण माहेश्वरी के सूचीबद्ध हुए।

प्राप्त प्रश्नों के विभागानुसार विश्लेषण के अनुसार तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 218 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 213 शिक्षा विभाग, 185 ऊर्जा, 151 जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग तथा 138 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 32 प्रश्न सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, 30 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग,

29-29 प्रश्न शिक्षा विभाग एवं परिवहन विभाग तथा 28 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित थे। प्राप्त अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 322 प्रश्न शिक्षा विभाग, 227 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 205 प्रश्न ऊर्जा, 190 प्रश्न स्वायत्त शासन विभाग, 169 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा 162 प्रश्न जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 73 प्रश्न शिक्षा विभाग, 55 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 50 प्रश्न ऊर्जा विभाग, 48 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग, 46 प्रश्न राजस्व विभाग तथा 43 प्रश्न स्वायत्त शासन विभाग से सम्बन्धित अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

यदि दलवार विश्लेषण किया जाये तो आठवें सत्र में भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिये गये 1894 तारांकित प्रश्नों में से 404 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 457 में से 99, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के 102 में से 28, निर्दलीय के 45 में से 11, जनता दल (यूनाइटेड) के 19 में से 2 तथा समाजवादी पार्टी के 39 में से 7 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। इसी प्रकार अतारांकित प्रश्नों में भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिये गये 2256 प्रश्नों में से 582 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 694 में से 228, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के 175 में से 27, निर्दलीय के 73 में से 28, समाजवादी पार्टी के 24 में से 6 तथा जनता दल (यूनाइटेड)के 7 में से 6 प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

यदि लिंगवार विश्लेषण किया जाये तो महिला सदस्यों द्वारा दिये गये कुल 336 तारांकित प्रश्नों में से 82 सूचीबद्ध हुए तथा 468 अतारांकित प्रश्नों में से 139 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। शेष पुरुष सदस्यों द्वारा दिये गये 2175 तारांकित प्रश्नों में से 469 तथा अतारांकित प्रश्नों 2761 में से 738 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 267 तारांकित प्रश्नों में से 72 तथा 372 अतारांकित प्रश्नों में 90 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 57 तारांकित प्रश्नों में से 6 तथा 78 अतारांकित प्रश्नों में से 34 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। निर्दलीय सदस्याओं द्वारा दिये गये 12 तारांकित प्रश्नों में से 4 तथा 18 अतारांकित प्रश्नों में 15 प्रश्न ही सूचीबद्ध हुए।

दिनांक 17 अप्रेल, 2012 को व्यवधान तथा सदन में हुई अव्यवस्था के कारण प्रश्नकाल नहीं हुआ। सूचीबद्ध हुए तारांकित प्रश्नों में से 111 प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई।

## स्थगन प्रस्ताव

अष्टम् सत्र में माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था देते हुए प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत 49 माननीय सदस्यों के 160 स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई, इनमें से 21 प्रस्तावों पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा अभियुक्ति दी गई। स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले भारतीय जनता पार्टी के 46 सदस्यों ने 138 प्रस्ताव तथा माकपा के 3 सदस्यों ने 22 प्रस्ताव प्रस्तुत किये। 9 महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत सभी 27 प्रस्ताव भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत

किये गये। श्री ज्ञानचन्द पारख, श्री पेमाराम एवं श्री गुलाब चन्द कटारिया ने सर्वाधिक 9-9 प्रस्ताव प्रस्तुत किये जबकि महिलाओं में सर्वाधिक 7 प्रस्ताव श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल ने प्रस्तुत किये ।

## विशेष उल्लेख की सूचनाएँ

समीक्ष्य सत्र में 88 माननीय सदस्यों से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की 210 सूचनाएं प्राप्त हुईं । इनमें से 132 सूचनाओं को सदन में पढ़ा गया तथा 78 सूचनाओं को सदन में पढ़ा हुआ माना गया । प्रस्तुत सूचनाओं में से भारतीय जनता पार्टी के 57 सदस्यों ने 149, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 25 सदस्यों ने 49, माकपा के 3 सदस्यों ने 7, तथा दो निर्दलीय सदस्यों ने 4 एवं समाजवादी पार्टी के एक सदस्य ने एक सूचना प्रस्तुत की । प्रस्तुत सूचनाओं में से 34 सूचनाएँ 13 महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गईं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी की 11 सदस्याओं ने 32 सूचनाएँ तथा इनेकां की 2 सदस्याओं ने 1-1 सूचना प्रस्तुत की। महिलाओं में सर्वाधिक 4-4 सूचनाएँ श्रीमती कमसा मेघवाल, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास एवं श्रीमती अनिता भदेल ने प्रस्तुत कीं।

## पर्ची के माध्यम से उठाये गये विषय

समीक्ष्य सत्र में पर्ची के माध्यम से 31 माननीय सदस्यों को अविलम्बनीय लोक महत्त्व के 53 विषय सदन में उठाने की अनुमति प्रदान की गई जिनमें से 18 विषयों पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा अभियुक्ति दी गई। विषय उठाने वाले सदस्यों में से भारतीय जनता पार्टी के 26 सदस्यों द्वारा 46 विषय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 सदस्यों ने 3 विषय, माकपा के तीन सदस्यों द्वारा चार विषय सदन में उठाये गये। 7 महिला सदस्यों द्वारा 11 विषय सदन में उठाये गये। सर्वाधिक 4-4 विषय श्री ज्ञान चन्द पारख तथा श्री रामहेत सिंह यादव तथा 3 विषय श्रीमती अनिता भदेल ने उठाये।

## ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

अष्टम् सत्र के दौरान दिनांक 18 अप्रेल, 2012 को श्री राजपाल सिंह शेखावत, श्री घनश्याम तिवाड़ी, श्री कालीचरण सराफ, श्री अशोक परनामी एवं श्री मोहनलाल गुप्ता ने जयपुर के पृथ्वीराज नगर के नियमितीकरण करने के सम्बन्ध में नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री ने इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिया। मंत्री के वक्तव्य से उत्पन्न मुद्दों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव देने वाले सदस्यों के साथ-साथ श्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी स्पष्टीकरण चाहा, जिन पर मंत्री ने अपना स्पष्टीकरण दिया।

दिनांक 20 अप्रेल, 2012 को श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास ने जोधपुर शहर में वायु एवं जल प्रदूषण के कारण निरन्तर बढ़ते जा रहे रोगों से जनता को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। इस सम्बन्ध में पर्यटन मंत्री बीना काक ने वक्तव्य दिया। मंत्री के वक्तव्य से उत्पन्न मुद्दों पर श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, श्री कैलाश चन्द भंसाली एवं श्री नरपत सिंह राजवी ने स्पष्टीकरण चाहे,

जिन पर मंत्री ने अपना स्पष्टीकरण दिया। एक अन्य प्रस्ताव में श्री गुलाब चन्द कटारिया ने प्रदेश के विद्यालयों में मिड डे मील के तहत बालकों को विभागीय मापदण्ड के अनुसार भोजन उपलब्ध नहीं कराने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। श्री महेन्द्रजीत सिंह मालवीय द्वारा दिये गये वक्तव्य से उत्पन्न मुद्दों पर श्री कटारिया, श्री घनश्याम तिवाड़ी एवं श्री केसाराम चौधरी ने स्पष्टीकरण चाहे, जिन पर मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।

प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत इसी दिवस श्री भगवान सहाय सैनी ने मालियों की ढाणी, गंगापुर सिटी, जिला सवाई मोधापुर में हुए भीषण अग्निकांड में प्रभावित परिवारों को समुचित आर्थिक सहायता प्रदान करने के सम्बन्ध में आपदा प्रबन्धन एवं सहायता राज्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया। राज्य मंत्री श्री बृजेन्द्र सिंह ओला द्वारा दिये गये वक्तव्य पर श्री सैनी तथा श्री मदन प्रजापत ने स्पष्टीकरण चाहे। श्री ओला ने सदस्यों द्वारा उठाये गये मुद्दों पर स्पष्टीकरण दिया।

## याचिकाओं का उपस्थापन

समीक्ष्य सत्र में 23 सदस्यों द्वारा 57 याचिकाएँ उपस्थापित की गईं । याचिका उपस्थापित करने वाले सदस्यों में से भारतीय जनता पार्टी के 20 सदस्यों ने 52 याचिकाएँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 सदस्यों ने 3 याचिकाएँ तथा माकपा के एक सदस्य श्री अमराराम ने दो याचिकाएँ उपस्थापित कीं। आठ महिला सदस्याओं द्वारा भी 18 याचिकाएँ उपस्थापित की गईं जिसमें से श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास ने सर्वाधिक छह याचिकाएँ उपस्थापित कीं। पुरुष सदस्यों में श्री बाबूसिंह राठौड़ ने सर्वाधिक 13 याचिकाएँ उपस्थापित कीं जबकि शेष सदस्यों में से दो-दो सदस्यों ने 5-5 एवं 3-3, पाँच सदस्यों ने 2-2 याचिकाएँ तथा बारह सदस्यों ने एक-एक याचिका उपस्थापित की।

## सदन में अव्यवस्था

1. समीक्ष्य सत्र में दिनांक 5 मार्च, 2012 को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से असन्तुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन के वैल में आकर धरना दिया तथा लागातर नारेबाजी किये जाने से सदन में घोर अव्यवस्था उत्पन्न हुई।
2. दिनांक 9 अप्रेल, 2012 को भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा वैल में आकर नारेबाजी करने से सदन में अव्यवस्था हुई । सदन की बैठक एक घण्टे के लिए स्थगित हुई।
3. दिनांक 17 अप्रेल, 2012 को सदन की कार्यवाही आरम्भ होते ही डॉ. राजकुमार शर्मा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री तथा श्री राजेन्द्र सिंह गुढ़ा, गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा राज्य मंत्री द्वारा सदन की वैल में आकर श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 16 अप्रेल, 2012 को अनुदान की मांग पर वाद-विवाद के दौरान उन पर असंसदीय शब्दों का प्रयोग किये जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की मांग की गई। इस पर भारतीय जनता पार्टी सहित प्रतिपक्ष के सदस्यों ने राज्य मंत्री के सदन के वैल में

आकर कार्यवाही बाधित किये जाने सम्बन्धी आचरण के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग करते हुए सदन की वैल में आकर जोर-जोर से बोलने के कारण हुए व्यवधान से सदन में प्रश्न काल नहीं हो सका। सदन की बैठक पहले 56 मिनट के लिए फिर तीन बार एक-एक घण्टे के लिए स्थगित हुई।

## अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु समिति का गठन

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 17 अप्रेल, 2012 को श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा असंसदीय शब्दों के प्रयोग तथा डॉ. राजकुमार शर्मा एवं श्री राजेन्द्र गुढ़ा द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग को लेकर सदन की कार्यवाही बाधित रही। सदन में इस प्रकार की अशोभनीय घटनाओं पर चिन्ता प्रकट करते हुए 7 माननीय सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किये तथा सदन की भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए सदन की एक समिति का गठन किये जाने की घोषणा की गई, जिसके सदस्य निम्नानुसार बनाये गये -

1. श्री रामनारायण मीणा, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री शांती कुमार धारीवाल, संसदीय कार्य मंत्री
3. बीना काक, पर्यटन मंत्री
4. श्री हरजीराम बुरड़क, कृषि मंत्री
5. श्री हेमाराम चौधरी, राजस्व मंत्री
6. श्री रतन देसाई उर्फ देवासी, सरकारी उप मुख्य सचेतक
7. श्री घनश्याम तिवाड़ी, उप नेता, भारतीय जनता पार्टी
8. श्री गुलाब चन्द कटारिया
9. श्री पेमाराम
10. श्री रामहेत सिंह यादव
11. श्री जीवाराम चौधरी
12. डॉ. दिगम्बर सिंह

## सदस्य का निलम्बन

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 17 अप्रेल, 2012 को सरकारी उप मुख्य सचेतक श्री रतन देसाई उर्फ देवासी ने प्रस्ताव किया कि 'कल की घटना के सम्बन्ध में आपने आज दिनांक 17.4.2012, मंगलवार को ग्यारह सदस्यों की जिस समिति का गठन किया, उसने कल की घटना के सम्बन्ध में सभी फुटेज देख लिए हैं और बहुमत से यह निर्णय लिया है कि माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल ने *नोइंगली, विलफुली, डेलीब्रेटली,* जानबूझकर सआशय शब्दों का बार-बार प्रयोग किया है, जो कि अन्य माननीय सदस्यों की छवि को क्षति पहुँचाने की नीयत से किया गया है और यह इस सदन के घोर अपमान एवं अवमानना की श्रेणी में आता है जिसकी जितनी निन्दा की जाये, उतनी ही कम है। इस सम्बन्ध में माननीय सरकारी मुख्य सचेतक डॉ. रघु शर्मा ने कल आसन से आग्रह किया था कि वीडियो फुटेज देखने के बाद इस पर नियमों के तहत आवश्यक कार्यवाही हेतु व्यवस्था देवें। अतः मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि माननीय सदस्य के उक्त कदाचार के फलस्वरूप उन्हें सदन की सदस्यता से एक

साल की अवधि के लिए निलम्बित किया जाये।'

सरकारी उप मुख्य सचेतक द्वारा प्रस्तुत निलम्बन का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

## सदन में धरना

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 5 मार्च, 2012 को संसदीय कार्य मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य से असन्तुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन के वैल में आकर धरना दिया।

## सदन से बहिर्गमन

1. दिनांक 28 फरवरी, 2012 को श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य द्वारा प्रश्न काल में चिकित्सा मंत्री श्री एमादुद्दीन अहमद खान द्वारा प्रश्न संख्या 1, जयपुर में संचालित रोगी वाहन सेवा 108 हेतु पदस्थापित चिकित्सकों के सम्बन्ध में सन्तोषजनक उत्तर नहीं दिये जाने तथा प्रकरण को दबाने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।
2. दिनांक 28 फरवरी, 2012 को श्रीमती वसुन्धरा राजे, नेता प्रतिपक्ष ने राज्य में गत माह शीतलहर व पाला पड़ने से किसानों की नष्ट हुई फसल का मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया।
3. दिनांक 2 मार्च, 2012 को माकपा के सदस्यों ने राज्य सरकार द्वारा पाले से खराब हुई फसलों पर समुचित सहायता उपलब्ध नहीं कराने के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा वक्तव्य नहीं देने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।
4. दिनांक 10 अप्रेल, 2012 को श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा ने कार्य सलाहकार समिति के 23वें प्रतिवेदन में अनुदान की मांगों पर विचार-विमर्श के दिन ही विधेयकों को विचारार्थ एवं पारण हेतु लिये जाने पर आपत्ति प्रकट करते हुए भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के साथ बहिर्गमन किया गया।
5. दिनांक 12 अप्रेल, 2012 को भारतीय जनता पार्टी सहित सम्पूर्ण विपक्ष ने अनुदान की मांगों पर वाद-विवाद में प्रतिपक्ष के तीन माननीय सदस्यों को भाग लेने की अनुमति नहीं दिये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।
6. दिनांक 16 अप्रेल, 2012 को श्री घनश्याम तिवाड़ी, उप नेता, भारतीय जनता पार्टी ने आसन से मांग की कि सदन में अनुदान की मांग पर विचार प्रकट करते हुए श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा सदन में असंसदीय शब्दों का बार-बार प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में सदन द्वारा पहले निर्णय लिया जावे, उसके पश्चात् विधान सभा की कार्यवाही का नियमित बिजनेस लिया जावे। आसन द्वारा प्रतिपक्ष की मांग स्वीकार नहीं किये जाने पर भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों सहित प्रतिपक्ष के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।
7. दिनांक 17 अप्रेल, 2012 को भारतीय जनता पार्टी सहित विपक्ष के सदस्यों ने सत्ता पक्ष द्वारा श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य विधान सभा के एक तरफा निलम्बित किये जाने के निर्णय का

विरोध दर्ज कराते हुए राज्यमंत्रिगणों के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की मांग करते हुए सदन से बहिर्गमन किया।

## शासकीय संकल्प

समीक्ष्य सत्र के दौरान दिनांक 18 अप्रेल, 2012 को श्री शांती कुमार धारीवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने राज्य में विधान परिषद् का सृजन किये जाने हेतु शासकीय संकल्प विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत किया कि 'यतः इस सदन का विचार है कि राजस्थान विधान मण्डल में जनता को व्यापक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए और स्वस्थ एवं सुदृढ़ जनतांत्रिक परम्पराओं की स्थापना के लिए राज्य में विधान परिषद् का सृजन करना अत्यावश्यक है।

अतः भारत के संविधान के अनुच्छेद 169 के खण्ड (1) के अनुसरण में सदन यह संकल्प पारित करता है कि राजस्थान राज्य में विधान परिषद् का सृजन करने के लिए संसद विधि पारित करे।'

संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प पर मतदान हुआ जिसमें कुल उपस्थित 156 सदस्यों ने भाग लिया संकल्प के पक्ष में 152 तथा विपक्ष में 4 मत पड़े। तत्पश्चात् संकल्प सदन द्वारा पारित किया गया।

## गैर-सरकारी संकल्प

समीक्ष्य सत्र के दौरान दिनांक 13 अप्रेल, 2012 को पाँच सदस्यों ने निम्न विषयों पर सदन में गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किये -

| क्र. | सदस्य का नाम | संकल्प का शीर्षक |
|---|---|---|
| 1. | श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास | यह सदन संकल्प करता है कि प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे दाम्पत्य बिखराव के मामलों को रोकने के लिए सरकार प्रभावी कदम उठाये। |
| 2. | श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल | यह सदन संकल्प करता है कि प्रदेश में सरकार शराब, गुटका, जर्दा, पान मसाला आदि पर पूर्णतः प्रतिबन्ध लगाए। |
| 3. | श्री अनिल जैन | यह सदन संकल्प करता है कि राज्य में तम्बाकू एवं गुटके से सम्बन्धित सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जा रहे पोस्टर एवं विज्ञापन पर सरकार पूर्ण प्रतिबन्ध लगाए। |
| 4. | श्री प्रभुलाल सैनी | यह सदन संकल्प करता है कि पत्रकारिता (चौथे स्तम्भ) का दायरा बढ़ाने एवं आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद पर बढ़ती हुई प्रवृत्ति पर प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा निर्धारित मापदण्डों की पालना निश्चित कराने हेतु राज्य सरकार केन्द्र सरकार को पुरजोर सिफारिश करे। |
| 5. | श्री ओम बिरला | यह सदन संकल्प करता है कि स्वस्थ, शिक्षित, विकसित, स्वर्णिम राजस्थान के निर्माण हेतु सरकार आवश्यक कदम उठाये। |

उक्त संकल्पों पर सदन में विचार किया गया। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास द्वारा प्रस्तुत गैर-सरकारी संकल्प पर 3 सदस्यों ने विचार व्यक्त किये तथा सरकार की ओर से श्री शांती कुमार धारीवाल ने विचार व्यक्त किये। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल द्वारा प्रस्तुत गैर-सरकारी संकल्प पर 12 सदस्यों ने विचार व्यक्त किये तथा श्री राजेन्द्र पारीक, आबकारी मंत्री ने सरकार की ओर से विचार प्रकट किये। श्री अनिल जैन गैर-सरकारी संकल्प पर विचार-विमर्श के दौरान अनुपस्थित रहे।

इसी प्रकार श्री प्रभुलाल सैनी द्वारा प्रस्तुत गैर-सरकारी संकल्प पर 3 सदस्यों ने विचार व्यक्त किये तथा डॉ. जितेन्द्र सिंह, सूचना एवं जन सम्पर्क मंत्री ने सरकार की ओर से विचार व्यक्त किये। श्री ओम बिरला के संकल्प पर दो सदस्यों ने विचार व्यक्त किये। इस संकल्प पर वाद-विवाद अपूर्ण रहा। विचार-विमर्श के पश्चात् श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल तथा श्री प्रभुलाल सैनी द्वारा प्रस्तुत संकल्पों को अस्वीकार कर दिया गया।

## समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

अष्टम् सत्र के दौरान जन लेखा समिति के 39, राजकीय उपक्रम समिति के 10, कार्य सलाहकार समिति के 7, सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति, प्राक्कलन समिति 'ख' एवं याचिका समिति के 2-2, महिला एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, विशेषाधिकार समिति, अनुसूचित जनजाति कल्याण सम्बन्धी समिति, अनुसूचित जाति कल्याण सम्बन्धी समिति एवं नियम समिति का एक-एक प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किया गया।

## वित्तीय कार्य

### (क) अनुपूरक अनुदान तथा अतिरेक मांगों का उपस्थापन एवं मतदान

अष्टम् सत्र में दिनांक 5 मार्च, 2012 को श्री शांती कुमार धारीवाल, संसदीय कार्य मंत्री ने वर्ष 2011-12 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) एवं अतिरेक मांगें वर्ष 2007-08 का उपस्थापन किया जिसे आसन द्वारा मुखबंद का प्रयोग कर सदन द्वारा पारित किया गया।

### (ख) आय-व्ययक अनुमान का उपस्थापन

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 26 मार्च, 2012 को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2012-2013 का उपस्थापन किया । मुख्यमंत्री ने वर्ष 2012-13 के लिए लेखानुदान (वोट ऑन अकाउण्ट) सम्बन्धी विवरण भी प्रस्तुत किया जिसे सदन द्वारा पारित कर दिया गया। आय-व्ययक पर चार दिन सामान्य वाद-विवाद हुआ जिसमें 70 माननीय सदस्यों ने भाग लिया । बहस के प्रथम दिन दिनांक 27 मार्च, 2012 को 15; 28 मार्च, 2012 को 15; 29 मार्च, 2012 को 30 तथा 30 मार्च, 2012 को 10 सदस्यों ने भाग लिया । दिनांक 30 मार्च, 2012 को सरकार की ओर से मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने चर्चा का उत्तर दिया। सामान्य वाद-विवाद में भारतीय जनता पार्टी के 34, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 31, भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के तीन तथा समाजवादी पार्टी एवं निर्दलीयों में से एक-एक सदस्य ने भाग लिया ।

### (ग) अनुदान की मांगों पर विचार एवं पारण

समीक्ष्य सत्र में निम्नलिखित अनुदान की मांगों पर सदन में विचार एवं मतदान हुआ और शेष मांगों को 19 अप्रेल, 2012 को मुखबंद का प्रयोग किया जाकर सदन द्वारा पारित किया गया। सदन में लगातार व्यवधान के कारण कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन के अनुसार पूर्व निर्धारित कार्यवाही में संशोधन किया गया।

| मांग सं. | विभाग | तिथि | कटौती प्रस्ताव | चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या |
|---|---|---|---|---|
| 24 | शिक्षा, कला एवं संस्कृति | 09.4.2012 | 237 | व्यवधान |
| 16 | पुलिस | 10.4.2012 | 181 | 18 |
| 17 | कारागार | 10.4.2012 | 98 | 18 |
| 27 | पेयजल योजना | 11.4.2012 | 264 | 43 |
| 46 | सिंचाई (इं.न. परि. सहित) | 11.4.2012 | 117 | 43 |
| 42 | उद्योग | 12.4.2012 | 111 | 21 |
| 43 | खनिज | 12.4.2012 | 101 | 21 |
| 13 | आबकारी | 12.4.2012 | 88 | 21 |
| 26 | चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई | 16.4.2012 | 177 | 21 |
| 37 | कृषि | 17.4.2012 | 158 | 24 |
| 39 | पशुपालन एवं चिकित्सा | 17.4.2012 | 185 | 24 |
| 28 | ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम | 18.4.2012 | 94 | 22 |
| 50 | ग्रामीण रोजगार | 18.4.2012 | 75 | 22 |
| 41 | सामुदायिक विकास | 18.4.2012 | 51 | 22 |
| 19 | लोक निर्माण कार्य | 19.4.2012 | 57 | 20 |
| 21 | सड़कें एवं पुल | 19.4.2012 | 218 | 20 |

## विधायी कार्य

### (क) वित्तीय समितियों का गठन

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 29 मार्च, 2012 को सरकारी मुख्य सचेतक डॉ. रघु शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव, जिसमें चारों वित्तीय समितियों के लिए 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किया जाना था, पर एक अन्य प्रस्ताव द्वारा माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त किया गया कि वे इन समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासम्भव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाये जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, के अनुसार सदस्यों का मनोनयन करें । इससे पूर्व दिनांक 28 मार्च, 2012 को सरकारी मुख्य सचेतक ने उक्त समितियों के गठन का प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया था जिसे पारित किया गया।

**(ख) अध्यादेश**

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 27 फरवरी, 2012 को अग्रांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखे गये-

1. गीतांजली विश्वविद्यालय, उदयपुर अध्यादेश, 2011 (वर्ष 2011 का अध्यादेश संख्या 10)
2. अभियांत्रिकी और प्रबंधन विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2011 (वर्ष 2011 का अध्यादेश संख्या 11)
3. महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर अध्यादेश, 2012 (वर्ष 2012 का अध्यादेश संख्या 1)

**(ग) सत्र के दौरान पारित विधेयक**

समीक्ष्य सत्र में निम्न विधेयक सदन/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त कर सदन में पुर:स्थापित किये गये। विधेयकों का विवरण निम्न प्रकार है -

| विधेयक सं./वर्ष | विधेयक का नाम | पुर:स्थापन की तिथि | विचार की तिथि | पारण की तिथि |
|---|---|---|---|---|
| 06/2012 | अभियांत्रिकी और प्रबन्धन विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 | 28.2.2012 | 5.3.2012 | 5.3.2012 |
| 07/2012 | गीतांजली विश्वविद्यालय, उदयपुर विधेयक, 2012 | 28.2.2012 | 5.3.2012 | 5.3.2012 |
| 09/2012 | महाराज विनायक ग्लोबल विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 | 28.2.2012 | 5.3.2012 | 5.3.2012 |
| 08/2012 | राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2012 | 28.2.2012 | 16.4.2012 | 16.4.2012 |
| 10/2012 | राजस्थान निजी विश्वविद्यालय की विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2012 | 28.2.2012 | 16.4.2012 | 16.4.2012 |
| 02/2012 | राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2012 | 5.3.2012 | 5.3.2012 | 5.3.2012 |
| 01/2012 | राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2012 | 5.3.2012 | 5.3.2012 | 5.3.2012 |
| 03/2012 | राजस्थान विनियोग (लेखानुदान)(संख्या-3) विधेयक, 2012 | 26.3.2012 | 26.3.2012 | 26.3.2012 |
| 11/2012 | वी.आई.टी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 | 27.3.2012 | 16.4.2012 | 16.4.2012 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12/2012 | कैरियर पाइन्ट विश्वविद्यालय, कोटा विधेयक, 2012 | 27.3.2012 | 17.4.2012 | 17.4.2012 |
| 13/2012 | राजस्थान विधियाँ (संशोधन) विधेयक, 2012 | 28.3.2012 | 11.4.2012 | 11.4.2012 |
| 14/2012 | राजस्थान विशेष न्यायालय विधेयक, 2012 | 9.4.2012 | 12.4.2012 | 12.4.2012 |
| 15/2012 | जे.ई.सी.आर.सी. विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 | 10.4.2012 | 18.4.2012 | 18.4.2012 |
| 16/2012 | संगम विश्वविद्यालय, भीलवाड़ा विधेयक, 2012 | 12.4.2012 | 18.4.2012 | 18.4.2012 |
| 17/2012 | राजस्थान आयुर्वेद नर्सिंग परिषद् विधेयक, 2012 | 16.4.2012 | 20.4.2012 | 20.4.2012 |
| 19/2012 | राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता विधेयक, 2012 | 18.4.2012 | 26.4.2012 | 26.4.2012 |
| 18/2012 | पूर्णिमा विश्वविद्यालय, जयपुर विधेयक, 2012 | 18.4.2012 | 20.4.2012 | 20.4.2012 |
| 22/2012 | राजस्थान सुनवाई का अधिकार विधेयक, 2012 | 19.4.2012 | 26.4.2012 | 26.4.2012 |
| 20/2012 | राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012* | 19.4.2012 | - | - |
| 05/2012 | राजस्थान विनियोग (संख्या-4) विधेयक, 2012 | 19.4.2012 | 20.4.2012 | 20.4.2012 |
| 23/2012 | राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलिब्धयाँ और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2012 | 20.4.2012 | 20.4.2012 | 20.4.2012 |
| 21/2012 | राजस्थान मंत्री वेतन (संशोधन) विधेयक, 2012 | 20.4.2012 | 20.4.2012 | 20.4.2012 |
| 04/2012 | राजस्थान वित्त विधेयक, 2012 | 26.3.2012 | 20.4.2012 | 20.4.2012 |
| 24/2012 | राजस्थान भिखारियों या निर्धन व्यक्तियों का पुनर्वास विधेयक, 2012 | 26.4.2012 | - | - |

* राजस्थान जल संसाधन विनियामक विधेयक, 2012 प्रभारी मंत्री श्री हेमाराम चौधरी के प्रस्ताव पर प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया।

## शोकाभिव्यक्ति

समीक्ष्य अष्टम् सत्र में सदन में निम्नांकित के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया -

| नाम | पद | निधन की तिथि |
|---|---|---|
| | **[27.02.2012]** | |
| 1. श्री वाक्लाव हैवल | चैक गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति | 18.12.2011 |
| 2. श्री बुहरानुद्दीन रब्बानी | पूर्व राष्ट्रपति, अफगानिस्तान | 20.09.2011 |
| 3. श्री एम.ओ.एच. फारूक | राज्यपाल, केरल | 26.01.2012 |
| 4. श्री भागवत झा आजाद | पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार | 04.10.2011 |
| 5. श्री एस. बंगारप्पा | पूर्व मुख्यमंत्री, कर्नाटक | 26.12.2011 |
| 6. श्री खेतसिंह राठौड़ | सदस्य, पहली, चौथी से सातवीं तथा दसवीं व ग्यारहवीं राजस्थान विधान सभा | 15.11.2011 |
| 7. श्री सुजान सिंह यादव | सदस्य, सातवीं, आठवीं व दसवीं रा.वि.स. | 13.01.2012 |
| 8. श्री मुल्कराज थिंद | सदस्य, चौथी व दसवीं राजस्थान विधान सभा | 06.10.2011 |
| 9. श्री मानसिंह देवड़ा | सदस्य, सातवीं, आठवीं व ग्यारहवीं रा.वि.स. | 07.09.2011 |
| 10. श्री वृद्धि चन्द जैन | सदस्य, छठी राजस्थान विधान सभा | 09.09.2011 |
| 11. श्री सैयद मंजूर अली | सदस्य, छठी राजस्थान विधान सभा | 29.12.2011 |
| 12. श्रीमती कान्ता कथूरिया | सदस्य, चौथी व पाँचवीं राजस्थान विधान सभा | 15.12.2011 |
| 13. श्रीमती शिव कुमारी | सदस्य, चौथी राजस्थान विधान सभा | 12.01.2012 |
| 14. श्री लक्ष्मण हीरात | सदस्य, पहली व दूसरी राजस्थान विधान सभा | 26.10.2011 |
| | **[01.3.2012]** | |
| 15. श्री जेठमल बरवड़ | सदस्य, 2, 3 व 5 से 7वीं, राजस्थान विधान सभा | 27.01.2012 |
| | **[27.3.2012]** | |
| 16. श्री पूंजीलाल मीणा | पूर्व सदस्य, 7वीं राजस्थान विधान सभा | 03.03.2012 |
| | **[10.4.2012]** | |
| 17. श्री हरिकिशन | पूर्व सदस्य, 2, 3 व 5वीं, राजस्थान विधान सभा | 08.04.2012 |

✧✧✧